फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम स्व. श्री संजय कुमार ध्यानी

प्रकरण संख्या :391 /2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

ांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
.11.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से अधिवक्ता उपस्थित है । प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से प्रस्तुत धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी ऋणी संजय कुमार ध्यानी को स्वर्गीय बताया है, किन्तु उसके विधिक वारीसान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया और ना ही 13(2) का नोटिस मृतक के विधिक वारीसान को जारी किया गयाहै। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट–2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner